भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **†2872**
दिनांक 17.12.2025 को उत्तर देने के लिए

देश में निष्क्रिय खदानें

†2872. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में निष्क्रिय खदानों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) नियामकीय विलंब, पर्यावरण/वन मंजूरी, पट्टाधारकों की निष्क्रियता, कानूनी विवाद या कोई अन्य प्रशासनिक या तकनीकी कारण सहित उक्त खदानों के निष्क्रिय रहने के प्राथमिक कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास इन निष्क्रिय खदानों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या लंबे समय से निष्क्रिय खदानों के पट्टों को पुनः प्राप्त करने या अधिक सक्षम संचालकों को पुनः सौंपने या वैकल्पिक उपयोग, जैसे सौर पार्कों में रूपांतरण या अन्य जन-लाभ उद्देश्यों के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसी निष्क्रिय खदानों के निरंतर उपयोग नहीं होने से राजस्व में कमी और आयात पर निर्भरता में वृद्धि के रूप में राजकोष को अनुमानित आर्थिक नुकसान कितना है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) देश भर में 1400 प्रमुख खनिज खानें गैर-कार्यशील हैं। राज्य/संघ शासित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। इन खानों के गैर-कार्यशील होने के मुख्य कारण हैं: खानों का अभ्यर्पण प्रक्रियाधीन होना, राज्य सरकार द्वारा निरस्तीकरण आदेश

लंबित होना, उपयुक्त श्रेणी के खनिज की अनुपलब्धता, महंगे प्रचालन, वैधानिक अपेक्षाओं का पालन न करना, विधिक मामले और भूमि अधिग्रहण तथा स्थानीय मुद्दों से जुड़ी चुनौतियां।

(ग) और (घ) खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गैर-कार्यशील खानों का पुनरुद्धार करने के लिए कई सुधार किए हैं। धारा 4क(4) में यह प्रावधान है कि लगातार दो वर्षों तक कोई उत्पादन और प्रेषण न होने पर पट्टे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राज्यों को व्यवहार्य ब्लॉकों की समीक्षा करनी होगी और उनकी तुरंत दोबारा नीलामी करनी होगी। धारा 8ख के अंतर्गत, सभी वैध अधिकार और स्वीकृतियां स्वचालित रूप से नए पट्टेदार को हस्तांतरित हो जाती हैं। जिन खानों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है, उनके लिए पट्टेदार द्वारा अनुमोदित समापन योजनाओं के माध्यम से प्रभावी खानबंदी का प्रावधान है, जो उस क्षेत्र की उचित बहाली सुनिश्चित करती है जिसका उपयोग वैकल्पिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(ङ) व्यवहार्य गैर-कार्यशील खानों की नीलामी की जाती है, जिससे राज्यों को रॉयल्टी के अतिरिक्त नीलामी प्रीमियम प्राप्त होता है।

अनुलग्नक: I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	गैर-कार्यशील खानों की सं. *
1	तमिलनाडु	347
2	आंध्र प्रदेश	282
3	गुजरात	172
4	मध्य प्रदेश	143
5	कर्नाटक	110
6	ओडिशा	81
7	झारखंड	67
8	तेलंगाना	40
9	महाराष्ट्र	36
10	राजस्थान	25
11	छत्तीसगढं	24
12	जम्मू और कश्मीर	24
13	मेघालय	11
14	हिमाचल प्रदेश	9
15	गोवा	8
16	बिहार	6
17	हरियाणा	4
18	केरल	4
19	उत्तराखंड	4
20	असम	1
21	लद्दाख	1
22	पश्चिम बंगाल	1
कुल योग		1400

** इस सूची में नवीन वर्गीकृत प्रमुख खनिजों (क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक और बैराइट्स) की गैर-कार्यशील खानें शामिल नहीं हैं।*